न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 02/2026 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 06.01.2026 निर्णय दिनांक : 04.05.2026

1. मुकेश कुमार पुत्र स्व० बंशीधर पुत्र श्योनारायण, जाति चमार, निवासी बिचपुरी, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। – प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
2. सरबती पत्नि स्व० चिंरजी,
3. कैलाश,
4. विनोद,
5. प्रमोद पुत्रान स्व० चिरंजी,
6. बीना,
7. सीमा पुत्रियांन चिरंजी,
समस्त जातियान चमार, निवासी बिचपुरी, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। – अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री संजू यादव अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी बंशीधर वगैरह बनाम चिरंजी वगैरह, मुकदमा संख्या 3065/2015, टी.आई. संख्या 2127/2015, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।
3. वकील प्रार्थी को सुना गया।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के स्थगन आदेश के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि का एक बेचान इकरारनामा दिनांक 27–12–2025 को हरदेव पुत्र नेतराम जाति मेघवाल निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान से किया गया है तथा अब अप्रार्थीगण गांव में ऐलानियां कह रहे है कि हमारी उपखण्ड अधिकारी नीमराना से बात हो गई है तथा हम उक्त दावा व टी.आई. को खारिज करवाकर विवादित भूमि का विक्रय पत्र हरदेव पुत्र नेतराम जाति मेघवाल निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के हक में करवायेगे। प्रतिवादीगण भूमाफिया है व संख्या बल, बाहुबल एवं धनबल युक्त है और उनके द्वारा ऐसी ऐलानियां धमकी देने से वादी को यह आभास हो गया है कि वादी को न्याय प्राप्त नही होगा। न्याय होने के लिये न्याय की

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

यह मंशा रहती है कि न्याय की प्राप्ति के साथ साथ सभी पक्षकारो को यह प्रदर्शित होना चाहिये कि उन्हें न्याय प्राप्त होगा, यदि पक्षकारो को न्याय नहीं प्राप्त होने का अंदेशा हो तो प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना विधि अनुरूप व न्यायसंगत है। अप्रार्थी पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेने के कारण एवं उसकी ऐलानियां घोषणा होने के कारण एंव पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने का आभास हो जाने के कारण यदि दावे को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया तो उपखण्ड अधिकारी नीमराना वादी के वाद व टी.आई. प्रार्थना पत्र को खारिज कर देगे। न्यायहित उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है।

अन्त मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद अनुवानी बंशीधर वगैरह बनाम चिंरजी वगैरह मुकदमा नम्बर 3065/2015 मय स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना से अन्यत्र किसी भी सक्षम अधिकारी के मुन्तलिक किये जाने की आज्ञा प्रदान करे ।

5. वकील प्रार्थी को गौर से सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन करने उपरान्त वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं कानून की मंशा देखी गई। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी/वादी को स्थगन आदेश मिला हुआ है तथा विचाराधीन प्रकरण में दावा वास्ते जिरह एवं स्थग्न प्रार्थना पत्र वास्ते बहस हेतु लम्बित है। पत्रावली के अवलोकन से तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे पक्षपात अथवा दुर्भावना का संकेत प्राप्त होता हो। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा लगाए गये आरोप केवल कथन मात्र हैं, जिनके समर्थन में कोई ठोस, विश्वसनीय अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मात्र आशंका एवं अनुमान पर आधारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अपर्णा गुप्ता)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़